



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 5100/9928900900)

E-mail: rsjsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ-9()/रालसा/स्टोर/2025-26/5585

दिनांक: 09.07.25

कोटेशन के लिए अनुरोध-04/2025-26

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा कार्यालय उपयोगार्थ अधिकृत रजिस्टर्ड फर्मों/डीलरों/विक्रेताओं से निम्नानुसार सामग्री क्रय करने हेतु बन्द लिफाफों में कोटेशन के लिए अनुरोध आमंत्रित किया जाता है:-

क्र. स.	सामग्री का नाम	Specificaton	मात्रा	Brand/ Model Name	Price (including all taxes)	अनुमानित व्यय राशि, रुपये में
1.	Scanner Canon/HP/ Equivalent	Type -Desktop Type Flatbed Scanner with ADF Optical resolution- 600dpi Scanning side- Front / Back / Duplex Interface- High speed USB 2.0 Black and White ADF: 20ppm / 36ipm Colour ADF: 10ppm / 18ipm Daily Duty Cycle Approx 800 scans/day	01			38,000/-
2.	Web Camera for PC	HD video calling (1280 x 720 pixels) Video capture: Up to 1280 x 720 pixels Photos: Up to 3.0 megapixels Hi-Speed USB 2.0 certified Universal clip fits laptops, LCD or CRT monitors	01			
3.	Multimedia Speaker for PC	2.0 Channel Speaker USB powerd Volume Control	01			
Total			03			38,000/-

कोटेशन दिनांक 16.07.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को दोपहर 03:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति एवं उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

कोटेशन की शर्तें:-

- कोटेशनदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी कोटेशन भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
- कोटेशन बंद लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होंगी।
- सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को बिना कारण बताये कोटेशन किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
- कोटेशन की दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना कांट-छांट स्पष्ट रूप में अंकित होनी चाहिए। शब्दों एवं अंकों में राशि में अंतर होने पर शब्दों में अंकित राशि सही मानी जावेगी।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 5100/9928900900)

E-mail: rlsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.rajasthan.gov.in

06. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स/जीएसटी देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें।
07. कोटेशन के साथ अधिकृत व्यवसायी का प्रमाण-पत्र/जी.एस.टी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
08. आयकर व जी.एस.टी. यदि लागू होगा तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।
09. आपूर्तिकर्ता को उक्त सामग्री निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर में कार्यादेश जारी होने के 5 कार्य दिवस में सप्लाई कर कार्यालय में संस्थापित करनी होगी।
10. सामग्री उच्च क्वालिटी की एवं Specification के अनुसार ही होनी चाहिए।
11. कोटेशनदाता को सामग्री संस्थान में ही उपलब्ध करवाकर मशीनों को स्थापित करना होगा, जिसका विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
12. अन्य किसी भी प्रकार का लोडिंग/अनलोडिंग/इंस्टालेशन चार्ज विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
13. आपूर्ति की गई मशीन/सामग्री की सफल स्थापना पर सफल कोटेशनदाता द्वारा संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित इंस्टालेशन रिपोर्ट जमा करें।
14. सफल कोटेशनदाता, स्थापना के दौरान, सरकारी परिसर/संपत्ति कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, अन्यथा वह उसे मूल स्थिति में पुनर्स्थापित अपनी लागत पर करेगा।
15. सप्लाई/इंस्टालेशन संतोषप्रद होने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।
16. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
17. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्तें भी लागू होगी।


निदेशक 08-07-2025

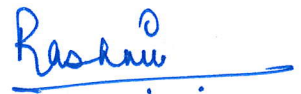
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक: एफ-9()/रालसा/स्टोर/2024-25/5586-89

दिनांक: 09.07.25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
2. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. फर्म मैसर्स
4. संबंधित पत्रावली।



उप सचिव-प्रथम

(स्टोर प्रभारी)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।